कार्यालय कलेक्टर (खाद्य आपूर्ति शाखा) नरसिंहपुर (म.प्र.)

क्रमांक /   / लो.सू.अधि. / 2014   नरसिंहपुर, दिनांक 01.09.2014

प्रति,

कलेक्टर महोदय,
जिला नरसिंहपुर

विषय :— सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन की बिन्दुवार जानकारी।

विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :—

(1) **संगठन कार्यों एवं कर्त्तव्यों का विवरण :—**

1. कार्यालय प्रमुख एवं लोक सूचना अधिकारी — जिला आपूर्ति अधिकारी।
2. सहायक लोक सूचना अधिकारी — सहायक आपूर्ति अधिकारी।
3. प्रथम अपीलीय अधिकारी — कलेक्टर।
4. द्वितीय अपनीय अधिकारी — आयुक्त, खाद्य भोपाल।

(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न, शक्कर एवं मिट्टी तेल के वितरण पर नियंत्रण।

(3) उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण जिले में पदस्थ जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(4) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 01 मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जिले में प्राथमिकता परिवार 169000 एवं एएवाय परिवार 26015 कुल 195015 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। जिसमें खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसिन शासन से प्राप्त आवंटन अनुसार वितरण कराया जा रहा है।

(5) कार्यालय में पदस्थ अमले के मध्य कार्य का विभाजन किया गया है जो अपने—अपने फील्ड कार्यों का मापदण्ड के अनुसार संपादित करते है।

(6) लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत धारा 9, 1 और 2 के निर्देशानुसार जिला स्तर पर खाद्य विभाग एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड जारी किये जाते है।

(7) शासन निर्देशानुसार विभाग द्वारा समय—समय पर गेहूं एवं धान खरीदी का कार्य उपार्जन नीति अनुसार संपादित किया जाता है।

(8) जिला स्तर पर आम व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु कार्यालयीन दूरभाष क्रमांक 230260 उपलब्ध है।

1.9.14

जिला आपूर्ति अधिकारी
जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)